

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय,

:: संशोधित आदेश ::

भोपाल, दिनांक: / /2018
क्रमांक एफ 5-167/2015/1/55: इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक
30/12/2017 में आंशिक संशोधन करते हुए "राधाकृष्णन धर्मार्थ फाउण्डेशन विश्वविद्यालय
भोपाल के स्थान पर "फैकल्टी आफ पैरामेडीकल रामकृष्ण धर्मार्थ फाउण्डेशन विश्वविद्यालय,
भोपाल" पढ़ा जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार

(शर्मिला ठाकुर)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक: 20/8/2018

पृ.क्रमांक-एफ 5-167/2015/1/55

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल म.प्र.।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा म.प्र.भोपाल।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. आयुक्त, आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल म.प्र.।
7. कलेक्टर, जिला- भोपाल मध्यप्रदेश।
8. कुलसचिव, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर, म.प्र.।
9. कुलसचिव, बरकतउल्लाह, विश्वविद्यालय, भोपाल मध्यप्रदेश।
10. अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल मध्यप्रदेश।
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला- भोपाल मध्यप्रदेश।
12. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला- भोपाल मध्यप्रदेश।
13. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण जिला- भोपाल म.प्र.।
14. रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद, तृतीय तल, प्लेटिनम प्लाजा, भोपाल-म.प्र.।
15. Director, National Information Center, Madhya Pradesh, State Center Vindhyaachal Bhawan, Bhopal
16. प्रबंधालक, फैकल्टी आफ पैरामेडीकल रामकृष्ण धर्मार्थ फाउण्डेशन विश्वविद्यालय गांधी नगर, एयरपोर्ट के पास जिला-भोपाल म.प्र.।


अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वटला श्वहन, भोपाल

अदिश

क्र. एफ 5-167/2015/1/55

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 (क्रमांक 1, सन 2001) की धारा-24 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में करते हुए आयुष्यमति एज्युकेशन एण्ड सोशल सेलियटी द्वारा संचालित राधाकृष्णन धर्मार्थ फाउण्डेशन विश्वविद्यालय जिला-भोपाल को भोपाल जिले में निम्नानुसार विषय तथा प्रवेश संख्या के आधार पर शिक्षण सत्र 2017-18 (एक वर्ष) के लिए पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने की सशर्त अस्थायी अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	डिग्री/डिप्लोमा/ प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
02	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
03	BACHELOR IN YOGA	DEGREE	50
04	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
05	HUMAN NUTRITION	DIPLOMA	50
06	PHARMACY (AYU)	DIPLOMA	50
07	X-RAY TECHNICIAN	DIPLOMA	50
08	DIALYSIS TECHNICIAN	DIPLOMA	50
09	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
10	HEALTH INSPECTOR	CERTIFICATE	50
11	HOSPITAL MEDICAL RECORD SCIENCE	CERTIFICATE	50

आवश्यक निर्देश :-

- संस्था को म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद के समस्त नियम-विनियम अनुसार प्रवेश तथा अन्य कार्यवाही संपन्न कर परिषद द्वारा जारी पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षण करवाना होगा। पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में संस्था द्वारा परिषद द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 30 दिसम्बर, 2017 तक छात्रों के प्रवेश किए जा सकेंगे।
- मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद के नियम-विनियम अनुरूप निर्धारित संख्या द्वारा महाविद्यालय में उपयुक्त/योग्य शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सत्र प्रारंभ होने के पूर्व की जाना आवश्यक होगा तथा परिषद को यथाशीघ्र सूचित किया जाएगा।
- संस्था द्वारा म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा बनाये गये प्रवेश नियमों के अनुसार ही छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।
- शासन/परिषद की ओर से समय-समय पर किए जाने वाले सामान्य एवं आकस्मिक निरीक्षण के दौरान संस्था द्वारा आवश्यक सहयोग किया जाएगा।
- संस्था को उपरोक्त समस्त सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों की विषयवार सत्यापित सूची (छात्र का नाम, पिता/पति का नाम, शैक्षणिक अर्हता, प्रवेशित पाठ्यक्रम का नाम, प्रवेश क्र. एवं दिनांक, जन्मतिथि, निवास का पता, जाति, मूल निवासी, आदि) निर्धारित तिथि तक म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद को दिनांक 15 जनवरी 2018 तक अनिवार्य रूप से एम्. पी. ऑनलाईन के माध्यम से जमा करानी होगी। निर्धारित तिथि के पश्चात् नियमानुसार परिषद प्रतिदिन प्रति छात्र एक हजार का विलम्ब शुल्क प्राप्त कर सकेगी। जिसके लिये संस्था जिम्मेदार होगी।
- संस्था द्वारा प्रवेशित छात्रों की सूची परिषद कार्यालय में जमा करते समय शासन द्वारा जारी इस आदेश की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित अधिकतम शिक्षण शुल्क के अनुसार ही संस्था को कार्यवाही करना आवश्यक होगा।

- 08 उपरोक्त आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर संस्था को म.प्र.सह-चिकित्सीय परिषद के पक्ष में सात लाख की बैंक गारंटी (न्यूनतम वैद्यता अवधि दो वर्ष) निष्पादित कर मूल प्रति म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- 09 डिप्लोमा सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के पूर्व संस्था को संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 10 मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 (क्रमांक 1, सन 2001) की धारा-44 (1) एवं (2) में उल्लेखित प्रावधानों के परिपेक्ष्य में सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को परिषद में नामांकन (पंजीयन) हेतु संस्था स्तर से समस्त आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस प्रकार संस्था से उत्तीर्ण छात्रों को मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय नामांकन (पंजीयन) की सम्पूर्ण जबाबदारी संस्था की होगी।
- 11 मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 (क्रमांक 1, सन 2001) की धारा-33 (1) (2) एवं (3) में उल्लेखित प्रावधानों के परिपेक्ष्य में संस्था में पूरे किए जाने वाले पाठ्यक्रम ओर दी जाने वाली परीक्षा अथवा उसके द्वारा ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियों से अपेक्षित प्रवीणता या संस्था में कर्मचारीवृन्द, उपस्कर, वास-सुविधा, प्रशिक्षण तथा उसमें दिये जाने वाले शिक्षण और प्रशिक्षण की अन्य सुविधाएं मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा विहित स्तरों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर सह-चिकित्सीय संस्था को सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों के संचालन बाबत दी गई अनुज्ञा/मान्यता किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
- 12 निर्धारित समयवधि में बैंक गारंटी की प्रति मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद में प्रस्तुत नहीं करने पर संस्था द्वारा सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों को परिषद द्वारा सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों को परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(शर्मिला ठाकुर)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

पृष्ठांकन क्र. एफ 5-167/2015/1/55

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुडा भवन, भोपाल
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. आयुक्त, आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल
6. आयुक्त, भोपाल संभाग, जबलपुर
7. कलेक्टर, जिला-भोपाल
8. कुलसचिव, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर
9. कुलसचिव, वरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल
10. अधिष्ठाता, गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-भोपाल
12. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला-भोपाल
13. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण जिला-भोपाल
14. रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद, तृतीय तल, प्लेटीनम प्लाजा, भोपाल
15. Director, National Information Center, Madhya Pradesh, State Center Vindhyachal Bhawan, Bhopal
16. संचालक, राधाकृष्णन धर्मार्थ फाउण्डेशन विश्वविद्यालय गाँधी नगर, एयरपोर्ट के पास, जिला भोपाल
17. आदेश फाईल

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग